(120)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2313–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–07–2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर तहसीलदार वृत्त बडागॉव जिला ग्वालियर, प्रकरण कमांक 5/2015–16/अ–27

.....

करन डव.सर्वि.प्रा.लि.
डायरेक्टर गिर्राजसिंह किरार
पता सी–21 इंदर नगर तानसेन रोड
तहसील व जिला ग्वालियर

..... आवेदक

विरूद्ध

1–श्रीमती मीना गुर्जर पत्नी श्री राजाराम
निवासी ग्राम विल्हेटी
तहसील व जिला ग्वालियर
2–सरदारसिंह पुत्र श्री सोनपाल सिंह
निवासी ग्राम खुरेरी
तहसील व जिला ग्वालियर

..... अनावेदकगण

.....

श्री रणवीरसिंह, अभिभाषक–आवेदक
श्री आर0एस0गौड़, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 24/1/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर तहसीलदार वृत्त बडागॉव जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–7–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका कमांक 1 द्वारा तहसीलदार मुरार के समक्ष प्रश्नाधीन भूमियों के बटवारे व बटांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 5/15–16/अ–27 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा आपत्ति आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 11–7–16 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक का आपत्ति आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बटवारा व बटांकन की कार्यवाही करने के पूर्व सभी सहकृषकों को सूचना दी जाकर उनकी सहमति के आधार पर फर्द बटवारा तैयार किया जाता है, जबकि तहसीलदार द्वारा बिना आवेदक को सूचना दिये एवं बिना उसकी सहमति के फर्द बटवारा तैयार किया गया है, इसी आशय की आपत्ति आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसे निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् कार्यवाही की जा रही है, परन्तु आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा नहीं होने देना चाहता है इसलिये अनावश्यक आपत्ति प्रस्तुत कर रहा है । यह भी कहा गया कि इस न्यायालय में भी यह निगरानी तहसीलदार के समक्ष प्रचलित प्रकरण को लंबित रखने के उद्देश्य से की गई है, इसलिये निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक की ओर से एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आपत्ति प्रस्तुत की गई और तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई भी कारण अपने आदेश में नहीं दर्शाया गया है, अतः तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया

जाये कि बटवारा नियमों का पालन करते हुये आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्ति आवेदन पत्र पर सुनवाई कर बोलता हुआ आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर तहसीलदार वृत्त बडागॉव जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–7–2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में बोलता हुआ आदेश पारित करने के लिये तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर